

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 589/2014

संस्थापन दिनांक 07.07.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर  
जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बालाराम पुत्र ग्याराम जाटव उम्र 36  
साल

2-श्रीमती अरुणा पत्नी बालाराम जाटव  
उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम माहौ थाना  
मालनपुर जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.06.14 को 18:00 बजे फरियादी मीरा अ0सा01 के घर के सामने ग्राम माहौ थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मीरा अ0सा01 की सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.14 को शाम करीब 6 बजे फरियादी मीरा अ0सा01 का देवर बालाराम व उसकी पत्नी अरुणा फरियादी मीरा अ0सा01 के दरवाजे के सामने मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो बालाराम ने उसके

सरिया मारा जो उसके सिर में लगा तथा दूसरा सरिया मारा जो उसके कंधे पर लगा तभी मीरा का पति सरनाम और लड़का सतीश व बदनसिंह आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया घटना के समय आरोपी बालाराम व अरुणा कह रहे थे कि आज तो बच गई आइन्दा जान से खतम कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी मीरा अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अप0क0 137/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 14.06.14 को 18:00 बजे फरियादी मीरा अ0सा01 के घर के सामने ग्राम माहौ थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मीरा अ0सा01 की सरिया से मारपीट कर किया ?

### // विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. मीरा अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण उसके देवर, देवरानी है जिनसे दो वर्ष पूर्व गर्भियों के समय घरु विवाद पर मुंहवाद हो गया था। आरोपी अरुणा ने गाली गलौच की थी और आरोपी बालाराम उसका साथ दे रहा था तब झगड़े में उसे गिरने से चोट आ गयी थी फिर उसका पति सरनाम आ गया जो रिपोर्ट करने ले गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 14.06.14 को आरोपी बलराम ने उसे सरिया मारा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः आहत अरुणा अ0सा01 द्वारा ही स्वयं को आई चोटें सरिये से पहुंचाये जाने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी आहत साक्षी होकर प्रत्यक्ष साक्षी है जिसके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता है। अतः आहत साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण

ने दिनांक 14.06.14 को 18:00 बजे फरियादी मीरा अ0सा01 के घर के सामने ग्राम माहौ थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मीरा अ0सा01 की सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)